परिषद् के तत्वावधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सुझाव दिया गया है कि आहार की क्षति को रोकने के लिये चूहों को मारने का अभियान चलाना जरूरी है। भारत सरकार ने चूहा नियन्त्रण अभियानों के विषय में सलाह देने व इस सम्बन्ध में समन्वय करने के लिये हाल ही में एक केन्द्रीय कृन्तक नियंत्रण सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकारें चूहों के विनाश के लिये अभियान चला रही हैं। चूहों के नियन्त्रण की समस्या का निश्चय ही विस्तार-शिक्षा से सम्बन्ध है, क्योंकि इसकी तकनीकों के सम्बन्ध में काफी सामग्री उपलब्ध है।

Allotment of Land to Scheduled Caste/Tribes in Rajasthan Canal Area

3784. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to scheduled castes, scheduled tribes, adivasis and backward classes to whom land has been allotted so far along with Rajasthan canal indicating the locations of the land so allotted; and

(b) the full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Argiculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) & (b) The necessary information is being collected from the State Government and will be placed on the table of the Sabha, when received.

आयात लाइसेंस कांड सम्बंधी केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *Re* : CBI REPORT ON IMPORT LICENCE CASE

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): कई दिनों से इस सभा में गरमागर्म बहस हुई हो रही है। यह हम सब के लिये आवश्यक है कि समूचे मामले को शांत मन से और सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। मेरे बोलने में प्रयत्न यही रहेगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को प्रकट करने के प्रश्न पर सभा में कई घन्टे तक बहस हुई और इसके परिणाम-स्वरूप बहुत सी गम्भीर बातें सामने आई हैं जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया होगी। यह बड़े खेद का विषय है कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य ने, जो कानून की प्रक्रियाओं का आदर समय आये हैं, सभा की कार्यवाही को जबरन रोकने का निर्णय किया है। रुकावट के तरीकों को "सत्याग्रह" का नाम लेकर कम घातक नहीं कहा जा सकता। जनतंत्र का ढोल पीटने वाले कुछ लोग टकराव का वातावरण बना रहे हैं क्योंकि वे मूलत: प्रतिनिधि लोक तन्त्र के विरुद्ध हैं और लोगों के संसदीय प्रणाली में विश्वास के महत्व को कम कर रहे हैं। और वे सत्याग्रह का गलत तरीका अपना रहे हैं। सत्याग्रह के अस्त्र का उपयोग उस समय किया जाता है जब कि लोगों के पास अपनी इच्छा प्रकट करने का कोई और तरीका नहीं रहता। परन्तु हमारी राजनीतिक प्रणाली में इसका पूरा अवसर है। बार बार इस सभा की कार्यवाही में रुकावट डालने से हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से सभा की कार्यवाही में रुकावट न डालने का अनुरोध करती हूं। इस माननीय सभा का सदस्य होने के नाते हम सब का यह कर्तव्य है कि किसी भी गुट को संसदीय प्रक्रिया में रुकावट न डालने दी जाये। विपक्ष भी इस बात को समझे कि देश में किसी प्रकार की बाधा न आये। महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों से, जिनसे लोग चिंतित हैं और जिनका लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, सम्बन्धित अवलिम्बनीय कानूनों के बनाने में देरी हो रही है।

मेरे सहयोगी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट सभा पटल पर न रखे जाने के कारण पहले ही बता चुके हैं। तथापि जनता के मन में सन्देह होना स्वाभाविक है और इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते और न ही हम रिपोर्ट को मात्र तकनीकी आधार पर सभा पटल पर रखने का विरोध कर रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक जांच प्राधिकरण है। अपराधी के विरुद्ध मुकदमे के दौरान जांच सम्बन्धी कागजातों को प्रकट करना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक जांच अधिकारी को प्रतिदिन का जांच सम्बन्धी ब्यौरा रखना होता है। ज्योंही जांच अधिकारी अपनी जांच पूरी करता है उसे यदि किसी व्यक्ति पर अपराधों के लिये मुकदमा चलाना होता है तो उसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत चार्जशीट अथवा यदि मामले को बन्द करना हो तो अन्तिम रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अन्य किसी रिपोर्ट के पेश किये जाने की व्यवस्था नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के स्थाई आदेशों के अनुसार जांच अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य का सार देते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इस रिपोर्ट में केवल गवाहों के उन वक्तव्यों तथा उल्लेखों का सार है जिन्हें इस्तगासा ने मान्य किया है। और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार जांच के दौरान रिकार्ड किए गए वक्तव्य साक्ष्यों में अमान्य हैं तथा गवाह की बात को गलत साबित करने के लिये इनका सीमित उपयोग किया जा सकता है। जो साक्ष्य माना जाता है वह वे ब्यान होते हैं जो गवाह अदालत में देते हैं। ये अदालत में कार्यवाही के दौरान पेश किए जाते हैं और सिद्ध किए जाते हैं। अतः यदि इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए तो होने वाली बहस अवश्य ही चलने वाले मुकदमे पर होगी, जिससे न केवल न्याय ही ठीक प्रकार से होगा, बल्कि इससे संसद और अदालतों के बीच संघर्ष भी आरम्भ हो सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहते हैं। इन कारणों से सी० बी० आई० के, जिसने कि अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए ख्याति प्राप्त की है, लम्बे इतिहास में इसकी कोई रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई है।

अब जबकि चार्जशीट, जोकि काफी विस्तृत है, कि एक प्रति दे दी गई है, तो रिपोर्ट की प्रति की मांग पर इतना समय क्यों नष्ट किया जा रहा है ? क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि इस मांग के पीछे मामले पर उचित मांग करना नहीं बल्कि किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति है। यह खेदजनक बात है कि कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ प्रतिपक्षी सदस्य ऐसे नए पूर्व उदाहरण को कायम कर रहे हैं जिससे सी० बी० आई० के लिए भविष्य में काम करना कठिन हो जाए।

मैंने वे कारण बताए हैं कि क्यों इस रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। परन्तु सभा के भीतर और बाहर किए जा रहे अनुचित प्रचार की और प्रतिपक्षी सदस्यों के विचारों को समझते हुए और साथ में कानून को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस सुझाव को मानने को तैयार है कि प्रतिपक्षी के नेता, गोपनीयता की शपथ लेकर, सी० बी० आई० की रिपोर्ट, साक्षियों के ब्यान और जांच के दौरान पकड़े गए दस्तावेज और हस्तलेख विशेषज्ञों की रिपोर्ट और केस डायरियों को, जोकि अभियुक्तों को भी नहीं दिखायी जाती, देख सकते हैं। ऐसा करने में हमारी झिझक का कारण यह था कि भविष्य में लोग जानकारी देने से डरें नहीं। मुझे पूरी आशा है कि यह उचित और व्यावहारिक पेशकश स्वीकार कर ली जाएगी। यदि वे इसे भी अस्वीकार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार कोई चीज छिपाना नहीं चाहती। बल्कि अनेक प्रतिपक्षी दल सच्चाई या न्याय में दिलचस्पी नहीं रखते और वे संकीर्ण दलगत उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं।

इन स्थिति में, हम सब को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहकर कार्य करना चाहिए। इस जिम्मेदारी की पहली बात है कि संसद को कार्य करना चाहिए। संसद को

निष्प्रभावी बनाकर लोकतंत्र को चलाया नहीं जा सकता। मेरी आप से प्रार्थना है कि ऐसे कोई तरीकों का उपयोग न किया जाये जिससे देश में उच्च लोकतंत्रीय संस्था यथा संसद के आधार को क्षति पहुंचे। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि पीढ़ियों की उपलब्धि नाराजी के एक क्षण में ध्वस्त हो गई।

श्री मोरार जी देसाई (सूरत): मुझे प्रधान मन्त्री का भाषण सुनकर दुख हुआ है जिसमें उन्होंने मेरे तथा विपक्षी सदस्यों के प्रति व्यंग्यात्मक शब्द कहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सत्याग्रह संसद में एक अभूतपूर्व कदम है। यदि सरकार इस स्थिति को समझने का कष्ट करती है तो मुझे विश्वास है कि कोई भी यह नहीं कहेगा कि हम गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहे हैं अथवा संसद के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में हमें ऐसी कार्यवाही करने पर मजबूर किया गया है क्योंकि हमें अपने कर्तव्य का पालन करने से रोका जाता है, निश्चय ही सरकार बहुमत से चलती है क्योंकि यहां संसदीय लोकतंत्र है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार से कोई गलती हो ही नहीं सकती है और सारी बुद्धिमानी उसके पास है।

यह भ्रष्टाचार और लाइसेंस कांड का एक असाधारण मामला है, यदि हम रहस्योद्घाटन करने में असफल रहते हैं तो भावी पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी और संसद अपना महत्व खो बैठेगी, संसद की श्रेष्ठ परम्पराओं को बनाए रखने के लिये हमने यह कार्यवाही की है। यदि वे चाहते हैं कि इन्हें सभा-पटल पर न रखा जाये तो इन दस्तावेजों को, जिनका उल्लेख प्रधान मन्त्री ने किया है, अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न दलों के नेताओं की समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस समिति में निश्चय ही सरकार के प्रतिनिधि होंगे और यह समिति निर्णय करेगी कि क्या कार्यवाही अपेक्षित है।

यदि इस समिति को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं मिलता है तो उसे दस्तावेज दिखाने का क्या लाभ होगा। यदि विपक्षी सदस्यों के मन में सरकार के इरादों के प्रति संदेह उठता है तो इसके लिये सरकार का आचरण जिम्मेदार है, जहां तक सदस्यों के आचरण का प्रश्न है, संसद को उस पर कार्यवाही करने का अधिकार है, संसद अपने कर्त्तव्य से पीछे नहीं हट सकती है, इसीलिये हमने आरम्भ में ही कहा था कि इन दस्तावेजों को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए।

हमने ऐसा करने के लिये सरकार को तभी कहा जब उसने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जांच कार्यवाही समाप्त होने पर वे अग्रेतर कार्यवाही करने के लिये संसद को विश्वास में लेंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि संसद को यह आश्वासन दिया गया था कि उनको सभी दस्तावेज दिखाये जायेंगे और उनकी सलाह लेने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी? सरकार ने सदन में मामला उठाने के बदले उस दिन न्यायालय में मामला दायर किया जिस दिन संसद का अधिवेशन आरम्भ हुआ और कह दिया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मैंने सत्याग्रह करना महात्मा गांधी से सीखा है। सत्याग्रह केवल राजनीतिक मामलों के लिए ही नहीं किया जाता अपितु न्याय पाने तथा सत्य के लिये भी सत्याग्रह किया जाता है, उन्होंने यह विचार दर्शन दिया है। संसद में विपक्ष को पूरी तरह से शक्तिहीन कर दिया गया है और इस मामले में संसद की अवहेलना की गई है। इस मामले को विपक्ष ने बहुत ही सावधानी और गम्भीरता से सोचना है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें इसका समाधान करना है अन्यथा संसद एक मजाक बन कर रह जायेगा। संसद के इस अधिकार और इसकी श्रेष्ट परम्पराओं को बनाए रखने के लिये हमने यह असाधारण कदम उठाया है।

यह मामला न्यायालय में दायर किया गया है और यह चलता रहेगा। यदि हमें कोई कार्यवाही करने से पूर्व न्यायालय में मामले के निर्णय होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी तो सम्भवत: हमें बारह वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा और उस समय तक अनेक संसदें आ चुकी होंगी। तब उस पर कार्यवाही करने के लिए कौन समर्थ होगा? यह संभव नहीं है, यह व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है।

इस बारे में न्यायालय के साथ संघर्ष का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि संसद इस समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगी। इसमें हर बात बताना आवश्यक नहीं है, केवल यह बताया जाएगा कि क्या कार्यवाही की जाए। यदि कोई दांडिक कार्यवाही की जानी है तो वह सरकार करेगी, सरकार इस बारे में सलाह देगी। फिर यह केवल मंत्रियों सहित सभा के सदस्यों से संबंधित होगा, हमें बाहरी लोगों के बारे में कुछ नहीं करना है। हमने यह मांग कभी नहीं की कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दस्तावेज सभा-पटल पर रखे जायें परन्तु जब यह संसद की कार्यवाही से संबंधित है तब इसका प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो जाता है। सरकार के कोई भी गोपनीय कागजात संसद से गोपनीय नहीं रखे जा सकते। संसद की सत्ता सरकार के ऊपर है। यदि सरकार इस बात को नहीं समझती तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए दुख का दिन होगा। इस लिए मैंने पूरी गंभीरता के साथ समूचे मामले को प्रधान मन्त्री के समक्ष विचारार्थ रखा। यह कार्यवाही जिम्मेदारी की भावना से रहित नहीं है। मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने इस कदम को गैर-जिम्मेदाराना बताया है। हमने यह कार्यवाही सरकार के राजनीतिक उन्माद को रोकने के लिए की है। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री कभी न कभी इस बात को समझेंगी। सत्ता प्रत्येक को उन्मादी बना देती है। विपक्ष का कार्य सरकार को उन्मादी बनने से रोकना है। इस समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने का उद्देश्य उसके द्वारा सभा के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करना है, यह समिति न्यायालय के इस मामले में निर्णय देने तक इंतजार नहीं कर सकती। आपने स्वयं यह निर्णय दिया है कि इसमें न्यायालय के साथ संघर्ष होने का प्रश्न नहीं है। इस लिए सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है कि यह समिति इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती और उसे न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्णय दिए जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि उसे कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाता है तो हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है, हमें मालूम हुआ है कि सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और हम अपनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री साफ-साफ शब्दों में स्थिति को स्पष्ट करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे राज्य सभा में बुलाया गया है।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : रिपोर्ट के अध्ययन के बाद जो कार्यवाही की जाएगी उसके बारे में प्रधान मन्त्री ने कुछ नहीं कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पिछले अधिवेशन से हमारी मांग रही है कि संसद की एक समिति द्वारा जांच होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले मांग यह रखी गई थी कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री इस पर पुनर्विचार करें और यह प्रधान मन्त्री पर है कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें या न दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने अपने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(व्यवधान)

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हम चाहते हैं कि कार्यवाही अवश्य की जाए। वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri Morarji Desai has stated that if any Member is found guilty, the Parliament has a right to investigate against him. What is the stand of the Prime Minister in this respect?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या प्रतिवेदन केवल अध्ययन के लिए ही दिया जाएगा या उस पर कार्यवाही भी हो सकती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि इसे केवल अध्ययन के लिए ही दिया जाता है तो इससे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी ?

(व्यवधान)

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस महत्वपूर्ण मामले में कोई गलतफहमी नहीं बनी रहनी चाहिए। विपक्ष की मांग स्पष्ट है कि यदि रिपोर्ट और दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात यह ज्ञात हो कि कुछ अन्य संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए तो विपक्ष को उन दस्तावेजों के देखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर आगे बहस की गुंजाइश नहीं रही **(व्यवधान)** प्रधान मन्त्री को अब और कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें राज्य सभा में जाना है।

श्री पी० जी० मावलंकर : हम संसदीय समिति की मांग करते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसके अतिरिक्त हमारे लिये और कोई चारा नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मन्त्री के उत्तर न देने का अर्थ है कि वह रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की जायगी। **(व्यवधान)**

आयात लाइसेंस कांड के बारे में श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege Against Shri L. N. Mishra Regarding Import Licence Case

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं **(व्यवधान)** वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **(व्यवधान)**

वक्तव्य

सभा को याद होगा कि मैंने 28 अगस्त, 1974 को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये कुछ आरोपों के स्पष्टीकरण करने के लिये सभा में एक व्यक्तिक स्पष्टीकरण दिया था। दो मुख्य आरोप थे (1) कि मैंने 21 सदस्यों की सिफारिश पर लाइसेंस दिये थे और (2) कि मैंने ज्ञापन बनवाया था जाली ढंग से अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर बनवाया।

अपने बयान के पहले भाग में मैंने कहा था कि "मुझे याद आता है कि कुछ सदस्यों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन मुझे मिला था जब मैं विदेश व्यापार मन्त्री था। जहां तक मुझे याद है, मैंने

वह् पत्न सम्बंधित अधिकारी को भेज दिया था जैसे कि सामान्यत: किया जाता है । मैंने कोई आदेश नहीं दिया था और न ही मैंने अपने उस मंत्रालय में कार्यकाल के दौरान कोई लाइसेंस दिया था ।" इस प्रकार यह देखा जायेगा कि मैंने कहा था कि ये लाइसेंस मैंने विदेश व्यापार मंत्रालय के अपने कार्यकाल में जारी नहीं कराये थे और न ही मैंने कोई आदेश दिये थे ।

यह बयान तथ्यों पर आधारित हैं और ठीक हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट में इसकी पुष्टि होती है । चार्जशीट के तथ्यों को लें तो यह पायेंगे कि अभ्यावेदन 22-11-1972 को दिया गया था और सी० सी० आई० ई० को 24-11-1972 को भेजा गया । मैं 5-2-1973 से विदेश व्यापार मंत्री नहीं रहा था । 22-2-1973 को, जबकि मैं इस विभाग का मन्त्री नहीं रहा, तो पांडेचेरी के नियन्त्रक की रिपोर्ट पर विचार किया गया और आगे की कार्यवाही की गई और जिसके फलस्वरूप ये लाइसेंस दिये गये । इन लाइसेंसों को देने का निर्णय 9-9-1973 को किया गया, अर्थात, मेरे इस मंत्रालय को छोड़ने के सात महीने बाद और वस्तुत: लाइसेंस बहुत बाद में दिये गये । मेरे सहयोगी वाणिज्य मन्त्री ने 9-9-1974 को सभा में परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दिया है कि ये लाइसेंस कैसे दिये गये और उसका औचित्य क्या है ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने श्री एन० के० सिंह, ओ० एस०डी० द्वारा सम्बंधित फाइल पर लिखे गये नोट का बहुत उल्लेख किया है (इस नोट का उल्लेख चार्जशीट में है) । इस नोट की तारीख 5-2-1973 है अर्थात वह तारीख जिस से मैं विदेश व्यापार मंत्री नहीं रहा । चूंकि यह कहा गया है कि मेरे 28 अगस्त, 1974 के सभा में दिये बयान के यह नोट विपरीत है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धारणा रखना निराधार है । इस नोट के होते हुए भी मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि इस नोट को किसी भी रूप में लाइसेंस देने का आदेश नहीं कहा जा सकता । वास्तव में, जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि इस नोट के लिखे जाने के सात महीने बाद लाइसेंस देने का आदेश दिया गया था । मैं लम्बे अर्से से मन्त्री हूं और जानता हूं कि किसी मन्त्री को अपने पद से हटते समय किसी लम्बित मामले पर निर्णय नहीं करना चाहिए । इसके अलावा मैंने सी० बी० आई० के जांच अधिकारी को भी इस विषय पर अपना बयान दे दिया है । यह आरोप कितना हास्यास्पद है और इस का चार्जशीट से पता चलेगा कि मैंने यह ज्ञापन तैयार कराया और इसे अपने कार्यालय या निवास स्थान पर जाली रूप में बनवाया । यह आरोप लगाने वालों की मन घड़ंत बात है । मैं पुन: कहना चाहता हूं कि मेरा 28 अगस्त, 1974 का वक्तव्य पूर्णत: ठीक है और किसी रूप में चार्जशीट के विपरीत नहीं है ।

दोषपत्र में उल्लिखित श्री तुलमोहन राम के कुछ वक्तव्यों के सम्बन्ध में सभा को यह मालूम होगा कि श्री तुलमोहन राम ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोगों से जो कुछ कहा है उसके बारे में बताना मेरा काम नहीं है ।

जहां तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस कथन का सम्बन्ध है कि मैंने अपने स्वर्गीय पिता की यादगार में एक स्कूल के निर्माण के बारे में सभा को गुमराह किया है, 9 सितम्बर, 1974 को श्री वाजपेयी ने सभा में कहा कि श्री तुलमोहन राम अपने गांव सरौनी में मेरे पिताजी की स्मृति में एक स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। अपने 20 नवम्बर, 1974 के वक्तव्य में श्री वाजपेयी ने उस स्कूल का स्थान बदलकर मेरे गांव में कर दिया ।

4 दिसम्बर, 1974 को श्री वाजपेयी ने एक दस्तावेज से उद्धरण पेश किया जिसे उन्होंने 22 फरवरी, 1973 को स्कूल प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही से सम्बन्धित बतलाया । इस

दस्तावेज के अनुसार बैठक में श्री तुलमोहन राम ने सुझाव दिया कि स्कूल का नाम रेल मन्त्री के स्वर्गीय पिता श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र के नाम पर रखा जाये। मेरे पिता जी का नाम पंडित रविनन्दन मिश्र है न कि रवीन्द्र नाथ मिश्र।

जिस दस्तावेज से श्री वाजपेयी ने उद्धरण दिया है, उसके अनुसार श्री तुलमोहन राम ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ इस विषय पर बात की है। श्रीमान ! श्री तुलमोहन राम के वक्तव्यों के बारे में बताना मेरा काम नहीं है। श्री तुलमोहन राम ने कभी भी इस सम्बन्ध में मेरे साथ बातचीत नहीं की।

स्पष्टतया श्री वाजपेयी यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री तुलमोहन राम का मेरे पिता जी के नाम पर स्कूल खोलने के कथित प्रस्ताव का सम्बन्ध किसी न किसी तरह से विचाराधीन लाइसेंसों को जारी करने के प्रश्न से है। श्रीमान जी ! जिस तारीख को अर्थात 22 फरवरी, 1974 को श्री तुलमोहन राम ने यह प्रस्ताव किया था, तब मैं रेल मन्त्री था न कि विदेश व्यापार मन्त्री। उस तारीख तक ये लाइसेंस प्रकाश में नहीं थे और जैसाकि सभा को ज्ञात है कि इन लाइसेंसों को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय 9 सितम्बर, 1973 अर्थात मेरे विदेश व्यापार मंत्रालय को छोड़ने के कई दिन बाद और स्कूल की कथित बैठक के बहुत समय बाद लिया गया था।

स्कूल समिति की बैठक की तथाकथित कार्यवाही के अनुसार जिसका कि श्री वाजपेयी ने उल्लेख किया है, बैठक में स्कूल के नाम पर ही चर्चा हुई थी न कि उसके निर्माण पर।

हमारे परिवार में दिवंगत आत्मा के नाम की स्मृति में परिवार के संसाधनों में से ही धर्मार्थ प्रकार के सार्वजनिक भवनों का निर्माण करने की प्रथा रही है। तदनुसार ही लगभग गत 100 वर्षों में मेरे पड़दादा, दादा, दादी, पिता और माता की स्मृति में उन्हीं के नाम पर अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक ग्रंथालय और मन्दिरों का निर्माण कराया गया है। ये सभी संस्थान केवल अपने ही परिवार के संसाधनों से बनाये गये हैं और किसी भी मामले में चन्दा नहीं लिया गया है।

प्रस्ताव के नोटिस पर आरंभिक टिप्पणियां करते हुए विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के कई निराधार और राजनीतिक आधार पर ऐसे मामले उठाये हैं जिनका इस मामले से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उदाहरणार्थ यह कहा गया है कि 5-12-74 को श्री एस० एन० मिश्र ने स्पष्टतः कहा था कि मैंने फाईल पर 23-11-72 को टिप्पणी लिखी थी कि इस मामले की शीघ्रता से जांच की जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि संसद सदस्यों को अभ्यावेदन मंत्री की टिप्पणी के साथ ही 24-11-72 को आयात और निर्यात के महानियंत्रक को प्रेषित किया गया था। इस आधार पर कि उन्होंने इस मामले में मेरी सांठ-गांठ होने का आरोप लगाने और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का प्रयास किया है। मैं इस घृणित आरोप का खण्डन करता हूं। मैंने 23-11-1972 को, जबकि ज्ञापन पर जाली हस्ताक्षर किये गये थे, फाईल पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं लिखी थी। मेरे विरुद्ध आरोप को सिद्ध करने की अपनी उत्कण्ठा में श्री मिश्र ने अपनी और टिप्पणी की तिथियाँ आपस में मिला दी हैं। मैंने 23-11-72 की कथित टिप्पणी नहीं लिखी है। मुझे याद है कि मैंने तीन महीने पहले अर्थात अगस्त में एक टिप्पणी दी थी जिसका कानूनी मुद्दों के बारे में विधि मन्त्रालय में मामले की जांच करने से सम्बन्ध था। यह वह मामला था जिसमें कि न्यायालय में मुकदमा लड़ना था, न कि किसी व्यक्ति को सहायता देने के सम्बन्ध में।

4/Lok Sabha/75—19

मैं श्री एस० एन० मिश्र पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने जानबूझ कर तथ्यों को तरोड़ा मरोड़ा है और तिथियों और संदर्भ को मिलाया है। उनका यह आरोप कि मैंने 23-11-72 को इस मामले को दुबारा चालू करने का आदेश दिया था, नितांत गलत है।

विपक्ष के मेरे कुछ साथियों ने आरोप लगाया है कि मैं ही इस षड्यंत्र का कर्णधार हूं। तथ्यों और घटनाक्रम से सिद्ध हो गया है कि यह आरोप कितने निराधार हैं। इस षड्यंत्र के दौरान मेरे आचार और कार्यों का खुलकर विरोध किया गया है। श्री तुलमोहन राम ने अप्रैल, 1971 और अप्रैल, 1972 के दौरान मुझे दो अभ्यावेदन दिये थे। ये दोनों ही अभ्यावेदन मेरे अनुदेशों के द्वारा रद्द कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, मैंने यह भी निदेश दिया था कि मामले को अदालत में भेज दिया जाना चाहिए और तथाकथित भेदभाव के मामले सहित इसके सभी कानूनी पहलुओं की विधि मन्त्रालय के परामर्श से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। मैंने यह कार्यवाही की है। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि श्री एस० एन० मिश्र ने गलत तारीख के साथ जिस टिप्पणी का उल्लेख किया है उसका इसकी दृष्टिकोण से सम्बन्ध है।

जाली ज्ञापन पहले के बहुत से ज्ञापनों के रद्द किये जाने के बाद ही आया था। जहां तक इस जाली ज्ञापन का सम्बन्ध है, वस्तुस्थिति यह है कि इसे सम्बन्धित अधिकारी के भेजे जाने के बाद यह मेरे पास किसी निर्णय आदि के लिये नहीं भेजा गया है।

यह कहा गया है कि मेरे चार भूतपूर्व साथियों ने लाईसेंस जारी करने सम्बन्धी अनुरोधों को रद्द कर दिया था और मैंने उन्हें जारी कर दिया है। मुझे इस आरोप पर बड़ा आश्चर्य है। पहले तथ्यों से पता चलता है कि मेरा दृष्टिकोण क्या था।

श्री तुलमोहन राम की मुझ से घनिष्टता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि पहले दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मैंने श्री तुलमोहन राम द्वारा बार बार किए गए अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया था। यदि मेरी इसमें कोई विशिष्ट रुचि होती तो विदेश व्यापार मंत्रालय में मेरे लिए इतनी लम्बी अवधि इस कार्य के लिये काफी थी।

एक अन्य प्रश्न यह उठाया गया है कि मैंने दिनांक 28-8-1972 को आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के इस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया कि यदि सम्बन्धित पक्षों द्वारा अदालत में मुकदमा दायर किया गया तो इस मामले की पैरवी की जाये। यह बात सही नहीं है। वस्तुतः आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक ने अगस्त, 1972 में मेरे उसी मत को दोहराया था जोकि मैंने कभी मई, 1972 में व्यक्त किया था कि यदि सम्बन्धित पक्ष रद्द किए जाने को अदालत में चुनौती दें तो कानूनी सलाह लेकर मामले को अदालत में ले जाया जाना चाहिए।

अतः इस सब से स्पष्ट है कि प्रस्ताव का यह नोटिस नितान्त रूप से भ्रामक है और केवल मुझ पर कीचड़ उछालने की दृष्टि से यह अनुचित अभियान है। ये सभी आरोप और आक्षेप निराधार हैं और ये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की चार्जशीट से ही गलत सिद्ध हो गये हैं जिस पर इस प्रस्ताव का नोटिस देने वाले निर्भर करते हैं।

———